श्री भरतसिंह सोलंकी

माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

Shri Bharatsinh Solanki

Hon'ble Minister of State (Independent Charge)
Ministry of Drinking Water and Sanitation

राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय परामर्श

National Consultation with State Minister's Incharge of Rural Sanitation

दिनांक २१ दिसम्बर, २०१२ को

Dated 21st December, 2012

सत्यमेव जयते

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

भारत सरकार

Ministry of Drinking Water and Sanitation

Govt. of India

राज्य सरकारों से पधारे माननीय मंत्रीगण, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय से, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों से तथा राज्य सरकारों से आए वरिष्ठ अधिकारीगण।

Hon'ble Ministers from State Governments, Senior Officers from the Ministry of Drinking Water Supply & Sanitation, from other Central Ministries & from the State Governments.

दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता रहा है। अस्सी के दशक में जो कि ''प्रथम अर्न्तराष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक'' के रुप में स्वीकारा गया था, उसके दौरान भारत सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता पर बड़े पैमाने पर अधिक बल दिया। ग्रामीण स्वच्छता को गति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस. पी.) वर्ष 1986 में देश में प्रारंभ किया गया था। तब यह कार्यक्रम केवल आपूर्ति तथा अनुदान–उन्मुख दृष्टिकोण से संबंधित था, जो समाज के केवल सबसे गरीब तबके पर केन्द्रित था। बाद में यह महसूस किया गया कि स्वच्छता एक ऐसा मूलभूत प्रश्न है जिसके लिये हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए तथा इसके सभी फायदों को समझते हुए नई प्रणाली के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के अन्तर्गत कम वित्तीय आवंटन का ग्रामीण भारत की स्वच्छता स्थिति को सुधारने पर सीमित प्रभाव पडा। दूसरी ओर, कुछ राज्यों में समुदाय–चालित स्वच्छता जागरूकता आधारित कार्यक्रमों के अनुभव से बेहतर

परिणाम सामने आए। इन कार्यक्रमों से प्रोत्साहन लेकर वर्ष 1999 में "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.)" का निरूपण किया गया। टी.एस.सी. भी अपनी संचालन प्रणाली की दृष्टि से सीमित दायरे में रहा, क्योंकि इसमें प्रोत्साहन केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित था।

Sanitation has been one of the areas covered in the successive Five Year Plans from the Second Five Year plan onwards. However, Rural Sanitation came into greater focus in the Government of India on a wider scale during the eighties, called the first International Drinking Water and Sanitation decade. The Central Rural Sanitation Programme (CRSP) was started in the country in 1986 to provide an impetus to rural sanitation. However the programme was simply a supply driven and subsidy oriented approach which was concentrated only to the poorest section of the society. It has subsequently been appreciated that Sanitation is a question of behaviour change and adaptation to a new system after understanding its full benefits. The low financial allocations under CRSP could also only have a limited impact. On the other hand, the experience of community driven awareness based programmes in some states have yielded better results. This led to the formulation subsequently of the Total Sanitation

Campaign (TSC) approach in 1999. Even the TSC was limited in its operations as the incentive was limited to BPL alone.

12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) ग्रामीण जनता द्वारा स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण एवं प्रयोग में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास है। स्वच्छता को लोकप्रिय बनाने एवं इसे मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। प्रोत्साहनों के प्रावधानों में विस्तार लाकर स्वच्छता कार्यक्रम में अनेक परिवर्तन निर्मल भारत अभियान के माध्यम से लाए गए हैं ताकि इस सुविधा का लाभ न केवल बीपीएल परिवारों को बल्कि चिन्हित किए गए एपीएल परिवारों को भी मिल सके, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, छोटे एवं सीमांत किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिला प्रमुख परिवार हैं। एक अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन, बढ़ा हुआ प्रोत्साहन है, जिसे एन.बी.ए. के अंतर्गत 3200/– रू. से बढ़ाकर 4600/– रू. कर दिया गया है, अर्थात् केन्द्र से 3200/– रू. एवं राज्य की ओर से 1400/– रू. का अंशदान। पर्वतीय क्षेत्रों को सामान्य केन्द्रीय हिस्से के अलावा, 500/– रू. का विशेष अंशदान दिया गया है। इसके अलावा, निर्माण–कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, एन.बी.ए. को भारत सरकार के ''रोजगार कार्यक्रम'' महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जोडा गया है। इस योजना से प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 4500/– रू. तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) launched in the first year of the 12th Five year Plan attempts to make a drastic change in the construction and use of sanitation facilities by the rural population. Several measures have been initiated to popularise and bring in sanitation to the main stream. Nirmal Bharat Abhiyan has brought in several changes in the sanitation programme firstly by widening the provision of incentives so as to extend the facility not only to the BPL families but also to identified APL households belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Small and marginal farmers, landless labourers with homesteads, physically challenged and women headed households. Yet another notable change is the increased incentive, which under NBA has been increased from Rs 3200/- to Rs 4600 - Rs 3200 from Centre and Rs 1400 from state's contribution. Hilly areas have been provided with a special allowance of Rs 500 in addition to the normal Central share. Moreover in order to facilitate easy construction, NBA has been dovetailed with the employment generation programme of the Government of India that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, by allowing a financial assistance upto Rs 4500/- for construction of a Individual Household Latrine (IHHL) from MGNREGS.

इस मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्टों से तथा अनेक राज्यों से प्राप्त फीडबैक से यह पता चला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलकर एन.बी.ए. के कार्यान्वयन को संभवतः पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा प्रणालीकृत नहीं बनाया गया है तथा इस मसले पर आज विस्तारपूर्वक चर्चा की जाने की आवश्यकता है।

Reports from the evaluation studies conducted by this Ministry and also feedback from many States reveals that the implementation of NBA in convergence with MGNREGS has not perhaps been streamlined fully by the State Governments & this issue requires detailed discussion today.

आज के राष्ट्रीय परामर्श का मुख्य उद्देश्य सचिवों से एवं माननीय मंत्रियों से इन मसलों एवं समस्याओं पर उनके विचारों को सुनना है तथा यह देखना है कि स्वच्छता कार्यक्रम को गरीबों के हितों के लिए इसे आगे कैसे ले जाया जाए। हमारे मंत्रालय की भावी नीतियों को कार्यरूप देने में इस विचार–विमर्श से हमें अत्यधिक लाभ पहुँचेगा।

The main objective of today's National Consultation is to hear from the Secretaries & Hon'ble Ministers the issues & problems & how to take the sanitation programme forward for the benefit of the poor. This will help us tremendously in shaping future policies of our Ministry.

इस संदर्भ में, मैं गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विचारों एवं अमूल्य सुझावों का भी स्वागत करूँगा। गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), समुदाय में शौचालय सुविधाओं की आवश्यकता को उपलब्ध कराने की मांग को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं तथा शौचालय की सुविधाओं की आवश्यकता एवं लाभ के संबंध में समुदायों को शिक्षित कर सकते हैं। ये संस्थाएं अच्छी आदतों एवं स्वास्थ्य–व्यवहार के संबंध में समुदायों को शिक्षित बनाने में योगदान दे सकती हैं तथा ग्रामीण समुदायों में होने वाले स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी परिवर्तनों की निगरानी कर सकती हैं। मैं सभी एन.जी.ओ. से अनुरोध करता हूँ कि वे स्वच्छता के लिहाज से अपनी भागेदारी को बढ़ाएँ ताकि हम निर्मल भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकें।

In this regard I also seek the opinion and valuable suggestions of Non Government Organisations and International Organisations. The NGO's can help to initiate the demand generation process and also educate the community on the need and advantages of toilet facilities & in certain cases do valuable hand holding. They can facilitate the community on good practices and hygiene behaviour; and monitor the changes among the village community. I request NGOs to upscale their involvement in sanitation so as to achieve Nirmal Bharat.

हम सबकी ओर से किया जाने वाला सघन प्रयास देश में स्वच्छता के प्रसार में सुधार ला सकता है। मेरा मंत्रालय, विभिन्न राज्यों की स्वच्छता संबंधी नये, अच्छे और सफल प्रयासों से सीख लेना चाहेगा जिसे अन्य राज्य भी अपनाना चाहेंगे। अततः मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने विचार हमारे साथ आज बांटें तथा अपने रचनात्मक सुझाव रखें, जिससे कि मेरा मंत्रालय एवं अन्य राज्य अपने निर्मल भारत के लक्ष्य को समयबद्ध रूप में प्राप्त कर सके।

Only a concerted action from all of us can improve the coverage of sanitation in the country. My Ministry would like to learn from the good practices of various states which other states may also like to follow. I request you to freely share your thoughts with us today and offer constructive suggestions which will enable my Ministry & other States to achieve their targets in a time bound manner.

धन्यवाद।

Thank you.